



# जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।



विज्ञापन संख्या – 01/2021-22

## “महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)” अन्तर्गत सृजित पदों के रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु सूचना :-

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के महत्वाकांक्षी योजना “महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा)” अन्तर्गत क्षेत्रीय कर्मियों के संविदा आधारित सृजित पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार के प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची द्वारा निर्गत संकल्प ज्ञापांक-4729, दिनांक-04.06.2007 से निर्गत नियुक्ति, सेवा शर्त कर्तव्य नियमावली-2007 निर्गत एवं प्रवृत्त है। विभागीय संकल्प ज्ञापांक-6440, दिनांक-17.07.2012 तथा सरकार के प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प ज्ञापांक-(N) 848, दिनांक-848, दिनांक-21.03.2017 से निर्गत (संशोधित, नियुक्ति, सेवा शर्त कर्तव्य नियमावली-2017) के आलोक में पश्चिमी सिंहभूम जिले में मनरेगा के तहत विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु निम्न विवरणी के अनुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

### पदों की विवरणी

क्र०सं०	आवेदित पद का नाम	कोटि			कुल
		अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	
01	प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	01	00	00	01
02	तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	01	00	00	01
03	लेखा सहायक	00	01	01	02
04	ग्राम रोजगार सेवक	17	22	03	42

नोट :-

1. आरक्षण रोस्टर के आधार पर रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।
2. नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत आरक्षण नीति लागू मानी जाएगी।

## योग्यता :-

पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता
<p>प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी</p>	<p><b>1. अनिवार्य योग्यता :-</b> सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण। सामान्य तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण, जिनका प्राप्तांक प्रतिशत 55 प्रतिशत से कम है परन्तु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हों तो वे भी आवेदन समर्पित कर सकेंगे। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जायेगा तथा ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जायेगा।</p> <p><b>2. अतिरिक्त योग्यता :-</b> <b>a)</b> सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एम0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0, बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 (कम्प्यूटर विज्ञान) अतिरिक्त योग्यताएँ मानी जायेगी। एम0बी0ए0 एवं पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0आर0डी0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटाकर एम0बी0ए0 की कोटि में प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा। बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर को बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने के हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जायेंगे तथा बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तदनु रूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा।</p> <p><b>b)</b> एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा। जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0 या बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस या बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स से पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जायेगा।</p>
<p>तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)</p>	<p><b>1. अनिवार्य योग्यता :-</b> सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी0ई0 या बी0टेक0 अनिवार्य योग्यता होगी।</p> <p><b>2. अतिरिक्त योग्यता :-</b> <b>a)</b> सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में एम0टेक0 तथा पी0जी0डी0सी0ए0/एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी।</p> <p><b>b)</b> एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।</p>

लेखा सहायक	<p><b>1. अनिवार्य योग्यता :-</b> सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी०कॉम ऑनर्स या सामान्य बी०कॉम न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण। सामान्य बी०कॉम उत्तीर्ण जिन्हें 55 प्रतिशत प्राप्त नहीं हुआ हो, परन्तु जिन्होंने तत्पश्चात् एम०कॉम किया तो वे आवेदन दे सकेंगे परन्तु बी०कॉम के कुल प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटा कर उसे बी०कॉम ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा।</p> <p><b>2. अतिरिक्त योग्यता :-</b></p> <p><b>a)</b> सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम० कॉम, बी० सी० ए० तथा एम० सी०ए०/पी०जी०डी०सी०ए०/एम०एस०सी० अतिरिक्त योग्यता होगी।</p> <p><b>b)</b> एम०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० के कोटि में जोड़े जायेगे। पी०जी०डी०सी०ए० एवं एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी०सी०ए० के पश्चात् पी०जी०डी०सी०ए० किया हो अन्यथा पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम०सी०ए०की कोटि में रखा जायेगा।</p>
ग्राम रोजगार सेवक	<p><b>1. अनिवार्य योग्यता :-</b> सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात् किसी भी ट्रेड में आई०टी०आई०, मैट्रिक के पश्चात् आई०टी०आई० की स्थिति में आई०टी०आई० के प्राप्तांक को इंटरमीडिएट प्राप्तांक प्रतिशत के समतुल्य समझा जायेगा।</p> <p><b>2. अतिरिक्त योग्यता :-</b></p> <p><b>a)</b> सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी विषय/संकाय में स्नातक प्रतिष्ठा/सामान्य स्नातक/बी०सी०ए० तथा किसी विषय में स्नातकोत्तर/ पी०जी०डी०सी०ए०/पी०जी०डी०बी०ए०/पी०जी०डी०आर०डी० अतिरिक्त योग्यता होगी।</p> <p><b>b)</b> स्नातक प्रतिष्ठा के प्रतिशत प्राप्तांक को 5 अंक का अधिभार देते हुए स्नातक की कोटि में अंकित श्रेणी में लाने के लिए उसके प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।</p> <p><b>3. अभ्यर्थियों का योग्यता स्कोर का निर्धारण इंटरमीडियट, स्नातक तथा स्नातकोत्तर योग्यताओं में कुल औसत प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा।</b></p>

1. ग्रामीण विकास विभाग के संकल्प ज्ञापांक-4729, दिनांक-04.06.2007 से निर्गत नियुक्ति, सेवाशर्त कर्तव्य नियमावली-2007 के बिन्दु 10 के अनुपालन में सरकार के प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प ज्ञापांक-(N) 1742, दिनांक-03.07.2019 द्वारा निम्न विवरणी के अनुसार मासिक संविदा राशि देय होगी तथा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित देय होगी।

क्र०सं०	पद	Monthly Honorarium (in Rs) for Less than 5 years Experience	Monthly Honorarium (in Rs) for 5 years Experience	5 years Less than 10 years	10 years or more
01	प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	19,500	20,000	-	-
02	तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	19,234	19,734	-	-

03	लेखा सहायक	10,000	10,500	-	-
04	ग्राम रोजगार सेवक	7,500	-	8,500	9,500

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प ज्ञापांक-4550, दिनांक-4550, दिनांक-31.05.2016 के संदर्भित सरकार के उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक-2435, दिनांक-14.08.2018 एवं अपर मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक-(N) 439 (अनु०), दिनांक-21.02.2018 के आलोक में नियुक्ति हेतु समूह "ख", "ग" एवं "घ" में नियुक्ति हेतु साक्षात्कार/अर्न्वीक्षा समाप्त की गयी है, जो इस नियुक्ति में लागू होगी।
3. आवेदन पत्र एवं विवरणी पश्चिमी सिंहभूम जिले के वेबसाईट [www.chaibasa.nic.in](http://www.chaibasa.nic.in) पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र दिनांक 01/10/2021 से 23/10/2021 तक Online (<https://applyrdd.jharkhand.gov.in/>) के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा।
4. आयुक्त सीमा :- दिनांक-01.01.2021 को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए एवं अधिकतम :-

क्र०सं०	कोटि	सामान्य अधिकतम आयु सीमा	दिव्यांग जनों के लिए
01	अनारक्षित	35 वर्ष	45 वर्ष
02	पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग	37 वर्ष	47 वर्ष
03	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	38 वर्ष	48 वर्ष
04	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (महिला एवं पुरुष)	40 वर्ष	50 वर्ष

(सरकार के अपर मुख्य सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प ज्ञापांक-7636, दिनांक-12.10.2018 के अनुसार)

#### 5. नियुक्ति हेतु शर्त :-

- i. सृजित पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर नियुक्ति पूर्णतः संविदा के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा।
- ii. प्रारंभिक चरण में ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जाएगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात् राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी, तो नियुक्ति द्वारा ही कार्य की समीक्षा के पश्चात् उपर्युक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसे नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।
- iii. संविदा के आधार पर नियुक्ति का नियम 11 (ख) में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
- iv. प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष) लेखा सहायक एवं ग्राम रोजगार सेवक के पदों पर चयन इस जिले के लिए किया जाएगा, जहाँ आवेदक ने

आवेदन समर्पित किया है, अर्थात् ये जिला स्तरीय पद होंगे। इन पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन जिले के क्षेत्राधिकार के किसी प्रखण्ड/पंचायत में करने के लिए उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक/उपायुक्त सक्षम होंगे तथा उनका निर्णय बाध्यकारी होगा।

- v. यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा, तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरित यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा की आवश्यकता नही हो, तो वे उसे एक माह पूर्व लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परन्तु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।
- vi. उक्त पद के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना तथा प्रशिक्षण के अंत में यदि कोई परीक्षा आयोजित की जाती है, तो उसमें उर्तीणता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् ही आपकी नियुक्ति मान्य होगी।
- vii. ऐसे पदस्थापन स्थान को आपके द्वारा चुनौती नही दी जा सकेगी।
- viii. योगदान करने के साथ ही यह समझा जाएगा कि आप मनरेगा योजना अन्तर्गत संविदा आधारित पदों की नियुक्ति नियमावली में दिए गए शर्तों एवं भविष्य में सरकार द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुरूप कार्य करने हेतु सहमत है।

## 6. सामान्य निर्देश :-

1. आवेदक भारत का नागरिक हो।
2. आरक्षण :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों (OBC-I/OBC-II) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत्त आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा तथा सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
3. स्थानीयता के संबंध में कार्मिक, सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड रांची द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-3198, दिनांक-18.04.2016 प्रभावी होगा।
4. सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड रांची के पत्रांक-5994, दिनांक-18.08.2009 द्वारा उपरोक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु वरीयता/प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी, जिसकी वैधता दो वर्ष रहेगी।
5. नियुक्त कर्मि को जिले के किसी भी प्रखण्ड या पंचायत में पदस्थापित किया जाएगा।
6. अभ्यर्थियों को अपने विश्वविद्यालय/संस्थान की UGC/AICTE/DEB से मान्यता से संबंधित कागजात/ऑनलाईन की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. जिन अभ्यर्थियों का शैक्षणिक प्रमाण-पत्र में **Grade** अंकित हो, तो वे अभ्यर्थी अपने संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रतिशत में अंतरण काराकर प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8. उपर्युक्त पद पर नियुक्ति के लिए किसी भी अभ्यर्थी विशेष के द्वारा किसी एक जिला में ही आवेदन किया जा सकेगा। साथ ही आवेदन पत्र के साथ उन्हे इस आशय का एक शपथ पत्र भी समर्पित करना होगा कि झारखण्ड प्रान्त के किसी अन्य जिला में उस पद विशेष के लिए उनके द्वारा कोई आवेदन नहीं किया गया है। उनके द्वारा समर्पित शपथ-पत्र यदि कभी भी असत्य पाया जाता है, तो उस अभ्यर्थी विशेष की नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी। साथ ही इसके लिए उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
9. अर्हता के अनुरूप आवेदक से ऑनलाईन आवेदन में मांगी गई सभी विवरणी को पूर्ण रूपेण भरा जाना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये गलत सूचना पर संबंधी अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः रद्द समझा जाएगा।
10. आवेदक द्वारा आधार कार्ड का विवरणी ऑनलाईन आवेदन में देना होगा।
11. विकलांगता के दावा हेतु मेडिकल बोर्ड द्वारा (झारखण्ड सरकार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की संकल्प संख्या ज्ञापांक-14/आ०नी०-04-05/2016 का० 5671/राँची, दिनांक-04.07.2016 के आलोक में) निर्गत निःशक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा एवं वैसे अभ्यर्थियों को अनुमान्य क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा।
12. एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पदवार अलग-अलग आवेदन ऑनलाईन करना अनिवार्य होगा।
13. विज्ञापन में किसी कारणवश आंशिक संशोधन या पूर्णतः रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
14. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति का होगा और इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं की जा सकेगी।

उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार

ह०/—

उप विकास आयुक्त-सह-  
जिला कार्यक्रम समन्वयक  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

ज्ञापांक :- 546/जि०ग्रा०, दिनांक :- 27-09-2021

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि उक्त विज्ञापन को अविलम्ब जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।



उप विकास आयुक्त-सह-  
जिला कार्यक्रम समन्वयक  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।